

TELE LABOUR

Organ of National Federation of Telecom Employees (BSNL)

Regd. No. 4906 dated : 17.9.2001

C-4/1 Bangla Sahib Road, New Delhi - 110001

Office : 2334 6656, 23746 677
Fax : 23341877
Chandeshwar Singh : Resi. 2570 6166, Mobile: 9868 256 622, 09431 200 383
Islam Ahmed : Resi. 25704847 Mobile: 9868 230 506
C.K. Mathivanan : Mobile: 9810 576 781 (Delhi), 9487 621 621 (Chennai)

E-mail :
nftechq@yahoo.com
Website :
www.nftechq.co.in

September, 2010 Com. Chandeshwar Singh, General Secretary Vol. LVI No. 9

EDITORIAL

DON'T IGNORE GROUND REALITIES

The BSNL top brass in course of a meeting strongly pleaded that the employees should work sincerely to lift the company from the present position otherwise even payment of salary will become difficult from next year. We share the concerns but it must be accepted that this *situation has not come all of a sudden. The inept handling of the issues and matters have brought the company to this position.* The clarion call of the top management "To work" is undisputed and unchallenged. But how the workers will perform when materials and tools are not available in the field. The very basic requirement for maintenance of landlines phones is cable which is not available in the field. If cables are damaged and cut how to restore and instal phones and provide Broadband services. The cables are not layed in new townships obviously to facilitate and to encourage private operators to capture market. How the poor and innocent Telecom Mechanics can be held responsible for such neglects? Contracts have been awarded by Circles/SSAs to private vendors

to provide and maintain broad band services as managers are apparantly more interested to earn money.

Is management not aware of the Network problems in Mobile services where Telecom Mechanics and other non-executive staff have no role to play? If BTS are not energised and Diesels are swallowed how to keep the services going on? These are some ground realities which top management must consider and take remedial measurer, *we represent workers and not the shirkers and do not believe in blame game but the facts will remain facts.* Why non-performers and corrupt and

Shri K.C.G.K. Pillai, Director (Finance) designate in BSNL



He has difficult task to control financial indiscipline prevailing in BSNL. Presently PGM (F and P) at Corporate office.

Salute to Workers for Complete & Successful Strike on 7th September

Reimburse loss of Rs. 16,000/- crores incurred by BSNL in Rural Telephone Operation

TF-6/7

Date 21/07/2010

Dr. Manmohan Singh,
Hon'ble Prime Minister of India,
New Delhi

Respected Sir,

We have come across the news appearing in media that a Committee has been formed to find out some professional outsider to lead the Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) which is in crisis due to various factors. We respectfully submit, Sir, that the National Federation of Telecom Employees BSNL represent near about one lakh employees and hold firm view that mere induction of professional Outsider may not prove panacea of the ills. The installation of outsider on the coveted post of Chairman. I am, afraid, may prove counter productive and hasten in bringing disaster for the Company causing sufferings to workers. There is genuine apprehensions and doubts that such a move has a very strong potential risk because it cannot be ensured that the Outsider so selected to lead BSNL is of highest credibility and does not carry on agenda of his own or of private business houses.

It is further submitted that the BSNL is fulfilling social obligations of the Govt. in providing Telecom Services in rural and remote areas and undergo financial losses. At the time of Corporatisation the Govt. took Cabinet decision to compensate the financial losses incurred by BSNL in providing loss making services. According to information the BSNL has incurred loss to the tune of Rs.16000/- (approx) crores in rural operation but DoT has failed to reimburse the amount as per decision of Cabinet of year 2000. Moreover, there has been abundance political and DoT's interferences in functioning of BSNL causing set backs in the growth and expansion of services. The Company has never enjoyed autonomy to take decisions for development and expansion of service.

Therefore, we entreat upon you, sir, to kindly consider all aspects confronting the BSNL and save the giant entity which belong to people of the country.

With profound regards,

Yours faithfully


(Chandeshwar Singh)

General Secretary

"Spectrum allocation at' 01 rates not justifiable'

"Communication Minister, Shri A. Raja, Responsible

The 2008 2G spectrum allocation 'scam' is unravelling. The Comptroller and Auditor General (CAG) has found communications and IT minister A Raja's involvement in virtually all key decision on allocation. While issues like first-come, first-served can be said to be policy decisions, this may not be enough for Raja to defend himself details of the CAG audit accessed by TOI are anything to go by. Raja was not available for comment, despite calls and text messages to his phone from TOI. Raja's approval to almost all controversial decisions of the 2G spectrum allocation include:

Personally approving issue of the now infamous press release on January 10,2008 , on first-come-first-served basis for allocation of licences, and giving operators just an hour's window to deposit demand drafts between 3.30 and 4.30pm. The press release also advanced the cutoff date for submission of application to September 25,2007.

Instruction to issue the controversial press release was given on the same day, January 10. Raja approved and cleared the noting for the allocation of 2G spectrum to all nine companies.

Raja personally decided on various cut-off dates in 2007, and later in January 2008, which favoured select companies.

First-come, first-served was never DoT policy for granting licences, contrary to Raja's claims. It was policy only for release of spectrum after licences were granted.

In its own sober style, the CAG audit deepens the taint on allocation of 2G spec-

trum. ***The auditor has found that operators who benefited were able to arrange and submit high-value demand drafts within 45 minutes of the press release being uploaded.***

Some of the drafts were made in Mumbai, showing that they seemed to have prior information about Raja making his ministry issue the controversial press release giving just an hour to potential bidders. In the normal course, they couldn't have arranged such high-value drafts in such short time.

The CAG audit found the decision to alter 2007 TRAI recommendation that there be no cap on number of licences was never sent back to the regulator for approval.

(TOI August, 30)

tainted officers are allowed to continue as SSA/Circle heads even beyond the prescribed period ignoring even the guidelines of CVC. Are they not accountable?

Time has come when BSNL HQr should change its approach and attitude of ignoring the unions on matters of services etc. BCG recommendations, CDR scheme have been implemented without even informal consultation with the unions.

NFTE, however, appeal to workers to devote their energies sincerely to lift and develop the services. But ground realities should not be ignored. *The workers will rise to the occasion provided the management creates proper atmosphere and environment in the field for the great cause.* ■

Well Done Comrades! Congratulations and Greetings for Successful Strike

Letters from BSNL HQr

BSNLMRS-Review of BSNLMRS policy Ref : OM No. BSNL/Admn,1/15-10/07 dated 16th April 2010.

No. BSNL/Admn,1/15-10/07 Dated : August 26, 2010

With reference of the OM referred above, clarifications from various quarters were sought on the cut off date for excluding the their child from extending the medical facility. The issue was examined and the clarifications are issued as under;

The number of children is restricted to two for the children of BSNLMRS beneficiaries who are born after the date of the order i.e., 16th April 2010. *The restriction is not applicable to the children born prior to 16th April 2010. It is further clarified that the their child will be allowed in cases where twins are born in the second delivery. The other provisions in the order shall continue to apply.*

Board level posts and below Board level posts including non-unionises supervision in central Public Sector Enterprises-Revision of scales of pay w.e.f. 01-01-1997 - Payment of IDA at revised rates regarding.

DPE F.No 2(9)/2000-DPE (WC) -GL- XIV/ 2010 Government of India

In modification of this Department's O.M. of even No. dated 21-04-2010, the rate of DA payable to the executives of CPSEs may be as follows:

Effective Date	Average of AICPI	Revised DA rates (%)
01.07.2010	2187	128%

These rates may be made applicable in the case of IDA employees; whose pay have been revised with effect form 01-01-1997 as

per DPE O.M. dated 25-06-1999.

2. All administrative Ministries/Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the Public Enterprises under their administrative control for action at their end.

BSNL No. 14-3/2010-PAT (BSNL) Dated 06-08-2010.

Department of Public Enterprises O.M. No. 2(9)/2000-DPE(WC)-GL-XIV/2010 dated 02.08.2010 on the above mentioned subject is sent to all concerned for information and necessary action please.

Board level and below Board level posts including non-unionised supervision in Central Public Sector Enterprises-Revision of scales of pay w.e.f. 01-01-1997 - Payment of IDA at revised rates regarding.

DPE F.No 2(70)/2008-DPE (WC) -GL- XIII/ 2010 Government of India dtd. 2nd August, 2010

In modification of this Department's O.M. of even number dated 21-04-2010, the rate of DA payable to the executives and non-unionised supervisors of CPSEs may be as follows:

Effective Date	Average of AICPI	Revised DA rates (%)
01.07.2010	170.66	35.1%

The above rates of DA would be applicable in the case of IDA employees who have been allowed revised pay scales (2007) as per DPE O.M. dated 26-11-2008, 09.02.2009 & 02.4.2009.

2. All administrative Ministries/Departments of the Government of India are re-

requested to bring the foregoing to the notice of the Public Enterprises under their administrative control for action at their end.

No. 14-3/2010-PAT (BSNL) Dated : 6.8.2010

Department of Public Enterprises O.M. No. 2(70)/2008-DPE(WC)-GL-XIII/2010 dated 02.08.2010 on the above mentioned subject is sent to all concerned for information and necessary action please.

Anomaly due to accrual of increments of juniors earlier than the seniors after fixation of pay in revised pay scale on implementation of Non-executives wage revision order w.e.f. 01.01.2007.

BSNL No.7-1/2010-PAT (BSNL) Dated 31.08.2010

I am directed to state that decision of the competent authority was communicated in respect of executives on the similar subject vide this office letter No.2-8/2009-PAT (BSNL) dated 23-09-2009 with further modification vide letter of even No. dated 14-06-2010. Now, the similar anomalous situations are being reported with respect to Non-executives on revision of their pay as per this office order No. 1-16/2010-PAT (BSNL) dated 07.05.2010.

2. In this connection it has now been decided with the approval of competent authority that in cases of anomaly where senior starts drawing less pay than junior due to accrual of increment to junior earlier than the senior after fixation of pay as per order issued vide this office order No. 1-16/2010-PAT (BSNL) dated 07.05.2010, the pay of the senior may be stepped-up at par with junior subject to the fulfilment of other terms and conditions as given below:

- I. Both the senior and junior employees should belong to the identical cadre and belong to the same SSA if seniority is maintained on SSA basis and to the same circle if the seniority is maintained on circle basis.
- II. The pre-revised and revised scales of pay of both employees should be identical and the junior must have joined the lower post after the senior.
- III. The senior employee should have been drawing more or equal pay than the junior in pre-revised as well as revised scale before accrual of increment in jan 2007 or in any month during the year 2007.
- IV. The anomaly should be directly as a result of application of the fixation of pay on wage revision applicable w.e.f.01.01.2007.

3. The next increment in all such cases will be granted after a period of 12 months of stepping-up of pay at par with junior. However, such stepping-up will be allowed only once w.e.f. one of his juniors subject to satisfying the conditions mentioned in Para 2 (I) to 2(IV) above.

Full Pension on Completion of 20 years of service w.e.f.1.1.2006 to BSNL Absorbees

Applicability of revised rules of CCS (Pension) 1972 consequent to the 6th CPC to the Government employees absorbed in BSNL - clarification regarding.

DoT No. 40-31/2008-Pen (T) dt. 16.8.2010. All Principal CCAs/CCAs/Joint CCAs and CMD, BSNL.

With reference to this office letter of even number dated 12th August, 2009 it is clari-

fied that the *provision of admissibility of full pension on completion of 20 years of qualifying service, which was earlier applicable from 2.9.2008 in terms of Deptt. of Pension and Pensioners' Welfare's O.M. No. 38/37/2008-P&PW(A) dated 2.9.2008* has since been revised vide DoP&PW's O.M.No. 38/37/08-P&PW(A) dated 10-12-2009, is now *admissible with effect from 1.1.2006. This amendment in CCS (Pension) Rules with regard to admissibility of full pension on completion of 20 years of qualifying service is also applicable to absorbed employees of BSNL.*

Implementation of Government's decision on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission regarding revision of pension of pensioners/family pensioners etc. - Grant of full pension to Government servants who retired on or after 1.1.2006

Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Pension & Pensioners' Welfare F.No.38/37/08-P&PW(A)

The undersigned is directed to say that in pursuance of Government's decision on the recommendations of Sixth Central Pay commission, orders were issued vide this Department's O.M. No.38/37/08-P&PW(A) dated 2-9-2008 for introducing modifications in the rules regulating pension, Retirement/Death/service Gratuity/Family Pension/disability pension and exgratia lump-sum compensation. In accordance with para 5.2 and para 5.3 of that OM, once a Government servant becomes entitled to pension on completion of 20 years/10 years of qualifying service, he shall be paid pension at 50% of the emoluments or average emoluments received during the last 10 months, whichever

is more beneficial to him. In terms of para 5.4 of the OM, these revised provisions have come into force w.e.f. 2.9.2008 and shall be applicable to Government servants retiring on or after that date. Subsequently, it was clarified vide O.M. No. 38/37/08-P&PW(A) dated 11.12.2008 that pension of Government servant retiring on or after 1.1.2006 will also be calculated based on the emoluments or average emoluments received during the last 10 months, whichever is more beneficial to him but his pension would continue to be proportionate to the pension on completion of 33 years of qualifying service. Para 5.4 of this Department's O.M.No.38/37/08-P & PW (A) dated 2.9.08 was modified to that extent.

2. This matter has been reconsidered by the Government. In partial modification of the instructions/order issued in this respect, it has now been decided ***that linkage of full pension with 33 years of qualifying service shall be dispensed with, with effect from 1.1.2006 instead of 2-9-2008. The revised provisions for calculation of pension in para 5.2 and 5.3 of the OM. No. 38/37/08-P&PW(A) dated 2.9.2008 shall come into force with effect from 1.1.2006 and shall be applicable to the Government servants retired/retiring after that date. Para 5.4 with further stand modified to that extent.***

3. Consequent upon the above revised provisions, in partial modification of para 7.1 of the OM No. 38/37/01-P&PW(A)-P&PW(A) dated 2.9.08, the extant benefit of adding years of qualifying service for the purpose of computation of pension and gratuity shall stand withdrawn with effect from 1.1.2006.

4. The overall calculation may take into account revised gratuity and revised pension, including arrears up to date or revision based gratuity and revised pension, including arrears up to date of revision based on these

instructions. However, no recoveries would be made in the cases already settled.

5. It is impressed upon all the Ministries/ departments of the Government of India to keep in view the above modifications/clarifications while disposing of the case of revision of pension. They are also advised to dispose of the representations received by them from pensioners on the above issue without referring the same to this Department.

6. This issues with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their U.O.No. 375/EV/2009 dated 19.11.2009.

7. In their application to the employees of the Indian Audit and Accounts Departments, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

Presentation before DOT by BSNL unions and associations on the recommendations of Sam Pitroda Committee- regarding

No. BSNL/16-1/SR/2010 Dated, the 1st September, 2010. The General Secretary, NFTE BSNL.

This is to inform you that DOT has desired a presentation by the unions and associations on the recommendations of Sam Pitroda Committee on 9th September, 2010. Some of the recommendations which have a direct bearing on the employees are -

- Retire or transfer around 100K employees through best possible process like VRS
- Institute a performance-driven culture to create a meritocratic organisation
- Disinvest 30% in stages at the appropriate time through Indian strategic investor and at Initial Public Offering (IPO) to return 10% to the government and use 20% for employee VRS, expansion and

operation

- Unbundle local loop for public and private companies to launch new services on non exclusive basis with care to prevent cannibalization.

2. You are requested to make a presentation on the above issues before a Committee in BSNL on Monday, the 6th September, 2010 at 11.00 AM in the Committee Room, 8th floor, Bharat Sanchar Bhavan, New Delhi, before making a final presentation before the officers in DOT on 9th September, 2010.

5th Membership verification to elect a majority union of non-executives' in BSNL- consideration of change in code of discipline regarding

No. BSNL/5-1/SR/2010 Dated, the 3rd September, 2010

Reference this office letter of even number dated 16th August, 2010 on the subject mentioned above. In response to the said letter, most of the unions have responded and now it has been decided to hold a meeting of all the applicant unions on Thursday, the 16th September, 2010 at 1130 hrs. in the Conference Hall, 9th floor, Bharat Sanchar Bhavan, New Delhi, to discuss the issue and come to an agreed conclusion.

2. You are requested to make it convenient to attend the same and ensure that a maximum of two members of your union participate in the meeting.

3. Taking advantage of your presence in the Corporate office, the management would to hold preliminary discussion on the conduct of 5th membership verification of non-executive employees in BSNL and its time-schedule. The applicant unions requested to submit their views and suggestions, if any, relating to membership verification, preferably in advance. ■

Letters to BSNL Board

Proposal for change of code of Discipline for recognition of unions

No.TF-1/1(C)/5th Verification Dated 27-8-2010 to P-3 GM (SR), B.S.N.L. New Delhi

Kindly refer to the letter No. BSNL/5-1/SR/2010 dated 16/08/2010. The NFTE BSNL at the outset appreciates the action of the management for calling opinion on changes in the code of Discipline which is **outdated and discriminatory**. A very large number of workers remain unrepresented in the Negotiating Machineries under this policy. The *outdated non-statutory* procedure was accepted by us at the formation stage of BSNL because the company could not frame any rule or procedure for recognition of unions. We forward the following proposals for your urgent consideration so that *only with the changed code of Discipline the next and Fifth membership Verification is held in 2011*.

1. Recognition to only one union is not serving the purpose of representing near about 2.25 lakhs employees spread and scattered throughout the country. Hence more than one union should be recognized after the next verification. As per the existing procedure a union has to secure at least fifteen percent of votes for getting the recognition. Hence the same criteria may be applied for recognition of more than one unions. However, the NFTE BSNL has *no objection if this condition of 15% membership is changed to even 5% by management for maximum participation of workers in the Negotiating Machineries. The single union recognition Procedure has resulted in the tyranny of one union during the past 5 years thereby members of other unions are threatened (or) vic-*

timized for not joining that single recognized union. This is spoiling the congenial atmosphere in the field. The BSNL Company, a service provider, cannot afford such environment.

2. Democracy means only Plurality. Views of all unions must be taken into consideration before deciding on any policy matter. But the present status of forming of negotiating forums such as National, Circle and Local Councils help only the recognized union. Thus an avoidable anomaly is being practiced in BSNL, wherein a union which not even has one percent of support of the employees finds a place in National/Circle/Local Councils throughout the country and NFTE-BSNL which consistently secured more than 35 percentage of votes could not sit in any of the forums for negotiations to represent the *interest of its membership nearly a lakh Hence to democratize these negotiating forums unions may be allotted seats proportionately on the basis of their votes share in every membership verification.*

3. In Circle/SSA Level if a union secures more votes than the one which secured more votes at All India Level that union must also be recognized at that level in addition to the recognized union without then insisting on any condition. The existing condition of securing more than fifty percentage of total votes for granting recognition 2nd union at circle level needs to be dispensed with since the same is going against the democratic verdict of the employees in that area.

4. All registered applicant unions may be extended the following basic Trade union facilities apart from the check off facility.

(a) Notice Board.

- (b) Informal Meetings with management at various levels.
- (c) Accommodation for union office on concessional rent.
- (d) A free landline and Mobile phone connection may be provided to the General Secretary/ Circle Secretary.
- (e) Grant of Special casual Leave.
- (f) Immunity from transfer to key office-bearers of the union.
- (g) Representation and Participation in works committee and welfare/sports committees.

5. The judgment of Madras High Court delivered on Neyveli Lignite Corporation Trade union recognition case (WP 9688/2005) may please be extended to the BSNL also since it is also a central PSU like NLC. *The decision of Hon'ble Court is to ensure maximum participation of workers in the Negotiating Machineries. This aspect may be kept in view by the BSNL management.*

6. Under the Dept. of Telecom both MTNL and BSNL are functioning. While MTNL has two unions a recognized for merely 40,000 employees whereas in BSNL which has near about 2.25 lakhs employees only one union is recognized. This is unfair and discriminatory. Hence in BSNL also more unions must be accorded recognition to serve the 2.25 lakhs of employees of non-executive working throughout the country.

7. The provision that "All the workers, who are not member of the recognised union may operate through the representative union or seek redress directly" be withdrawn while extending recognition to unions after verification as this tends to believe that the registered and unrecognized unions cannot ventilate the grievances of the employees and this facilitates in migration of workers to the

recognized unions which is proving detrimental to the cause of healthy competition in verification.

8. The meeting with all unions to discuss the changes in the code of discipline may be convened is September 2010 itself as assured by the management on the eve of the 4th membership verification in 2008.

Protest Demonstration on 03/09/2010 during lunch hours at Circle/SSA levels.

No.TF-38/2 Dated 28-08-2010. The Gneral Manager (SR), BSNL New Delhi

We have decided to hold lunch hour demonstration on 3rd September, 2010 to focus the attention of management for settlement of pending demands. A list containing demands is enclosed for perusal and ready reference.

BSNL STAFF DEMANDS :-

1. Merge 78.2% IDA w.e.f.1.1.2007 for fixation benefits.
2. Extend Fixation benefit of wage revision (30%) to all employees appointed on or after 1.1.2007 and protect their emoluments. Arrest drop in emoluments for TTA and senior employees in other cadres in II wage revision.
3. Modify R/R and relax seven years of service to five for promotion to JTO cadre.
4. Effect Pension Revision immediately.
5. Review JAO Part-II result by giving suitable grace marks.
6. Scrap New CDR billing system to avoid handling over of our customer base data to BSNL competitors. Restore DOT- Soft Billing system.
7. Settle special problems of Telecom Fac-

tory Staff such as disparity in duty hours, holidays, leave etc.

8. Complete the restructuring of Civil Wing Maintenance Cadres.
9. Scrap point system on compassionate ground appointments and restore original selection procedure. Also restore power to Heads of Circles.
10. Grant EDP scale to Sr. TOA, revise TM, Driver, Cable Splicer scales, Grant higher promotional scales for TTA.
11. Stop discrimination in Anomaly settlement and grant increments instead of personal pay to non-executives.
12. Stop discrimination in Promotion Policy and award 5 promotions with 5 year span to non-executives.
13. Settle all anomalies arising out of I and II wage revision as per recommendations of Promotional Committee headed by Shir S.C. Mishra (the then Sr.DDG (Estt.) BSNL).
14. Upgrade qualified and trained TTAs to JTO cadre along with their posts.
15. Revised Recruitment Rules and relax eligibility years and qualification in respect of Phone mechanic to appear for TTA examination.
16. Upgrade all T.O.As as Sr.T.O.As without Screening Test.
17. Grant minimum Trade Union facilities to all applicant unions.
18. Finalise new recognition rules for BSNL and give representation in Negotiating Forum, work Councils and Welfare Committees.

Holding of departmental examination for promotion to J.T.O. Cadre

No.TF-14/2 (b) Dated 06-09-2010, The

General Manager (Est.), BSNL, New Delhi.

The departmental examination notified by BSNL Headquarter was stayed by the Kerala Court due to which scheduled examination was postponed. It is reported that till date the Corporate Office has not submitted its reply in the Court due to which "Stay" is continuing and case undecided.

It is mentioned that for last ten years the departmental examination for promotion to J.T.O. cadre either in 35% or 15% has not taken place causing much frustration amongst the prospective candidates. It is strange that while direct recruitment is taking place uninterrupted but holding of departmental examination is being delayed and avoided.

Further the service period of 7 years prescribed in R/R for eligibility be relaxed to 5 as was during DOT period.

We, therefore, request you to please take appropriate action so that the stalemate ends and the examination is held at the earliest.■

**PITRODA COMMITTEE
RECOMMENDATIONS:**

NFTE - BSNL presented its views before BSNL management on 6th September relating to VRS. Disinvestment, unbundling and performance evaluation.

Comrades Islam, Chandeshwar Singh, Rajpal and Kohli represented the NFTE.

At 14.00 hours the JAC leaders met the management and opposed VRS, Disinvestment and unbundling. There has been consensus on performance evaluation proposal.

Comrades Chandeshwar Singh (Chairman, JAC) and Islam (President-NFTE) attended the meeting.

वास्तविकताओं की अनदेखी उचित नहीं

अनौपचारिक बैठक के मध्य बीएसएनएल प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी ने संघ के पदाधिकारियों से कहा कि कर्मचारी कार्य करें अन्यथा अगले वर्ष से वेतन भुगतान भी कठिन हो जाएगा। हम उनकी चिंता से शत-प्रतिशत सहमत हैं परंतु यह स्थिति अचानक उत्पन्न नहीं हुई है। मुद्दों तथा समस्याओं के प्रति उदासीनता का यह परिणाम है। कार्य करने का आवाहन से हम पूर्णतः सहमत हैं। यह विवादित भी नहीं है। परंतु क्या सामग्रियों तथा टूल्स के अभाव में कर्मचारी कार्य कर सकते हैं? बेसिक टेलीफोन्स का रखरखाव मूलतः केबिल्स पर निर्भर करता है। यदि केबिल्स का अभाव है तो खराब अथवा कटिंग होने पर लैंडलाइन फोन्स कैसे ठीक किया जा सकता है? आज सर्किलों में केबिल्स का अभाव है। नवीन कालोनियों में अभाव के कारण केबिल्स नहीं बिछाई जा रही है। इन कारणों से ब्राडबैंड सेवाओं का विकास बाधित होता है। प्रबंधन में आसीन कुछ अधिकारी शायद निजी स्वार्थों के कारण निजी कंपनियों को बाजार पर कब्जा कराके लाभान्वित करना चाहते हैं। आखिर कार्पोरेट कार्यालय केबिल्स की व्यवस्था क्यों नहीं करता है। ब्राडबैंड कनेक्शन देने तथा इसके रखरखाव हेतु सर्किलों तथा एसएसएज् ने ठेका दे रखा है। ठेका पर कार्य कराने का मुख्य उद्देश्य अधिकांशतः धन अर्जित करने हेतु होता है इन परिस्थितियों में नान-एकजीक्युटिव कर्मचारी विशेषकर टेलीकाम मेकैनिक्स क्या योगदान करेगा?

क्या प्रबंधन मोबाइल सेवा में नेटवर्क की समस्या से अवगत नहीं है। इसमें टेलीकाम मेकैनिक्स की क्या कोई भूमिका है? यह सेवा कैसे सुचारू रूप से चलेगी जब डीजल को लोग पी रहे हैं तथा बीटीएस के

रखरखाव के प्रति उदासीन है। क्या ग्रुप 'सी' तथा 'डी' कर्मचारियों की इन कृत्यों में कोई भूमिका है? ऐसे अधिकारी जो कार्यों के प्रति उदासीन तथा भ्रष्ट हैं उन्हें सर्किल तथा जिला हेड्स अधिक समय तक क्यों रख गया है? हम दोषारोपण में विश्वास नहीं रखते हैं परंतु वास्तविकताओं को अनदेखी भी नहीं की जा सकती है। हम मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं कामचोरों का नहीं। अत्यव प्रंधन को मुद्दों पर समुचित कार्यवाही करनी चाहिए। समय की मांग है कि प्रबंधन संघों से संवाद कायम करे। **प्रबंधन ने मनमाने ढंग से बीसीजी, सीडीआर योजना को लागू किया है।**

एनएफटीई कर्मचारियों से अपील करती है कि वे अपने कार्यों के प्रति कदापि उदासीनता नहीं दिखाए। हमारा कर्तव्य है कि बीएसएनएल की सेवाओं के विकास तथा विस्तार में सहयोग दें। हम आशा करते हैं कि प्रबंधन में आसीन अधिकारी भी निष्ठापूर्वक सुन्दर वातावरण की व्यवस्था करेंगे जिससे कि कर्मचारी अपने कार्यों का संपादन कर सकें।

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला

श्री ए.राजा, संचार मंत्री जिम्मेदार

वर्ष 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम आवांटन में घोटाला हुआ था। इसकी आवाज संसद में भी गूंजी थी। एनएफटीई ने जांच की मांग की थी। कन्ट्रोलर आडिटर जनरल ने आवांटन के सभी निर्णयों हेतु माननीय संचार मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में आवांटन घोटाले के विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख किया है।

(यह टीओआई में 30 अगस्त के प्रकाशन पर आधारित है।)

अभूतपूर्व हड़ताल करने हेतु साथियों को हार्दिक बधाई

नान इकजीक्युटिव प्रमोशन पालिसी से सम्बन्धित स्पष्टीकरण आदेश

बीएसएनएल पत्र संख्या 13-2-2010-टीई दिनांक 20.8.2010 सभी सीजीएम्स को

कृपया कार्पोरेट कार्यालय के पत्र संख्या 13-2/2010-टीई दिनांक 20.08.2010 का सन्दर्भ लें जिसके अन्तर्गत आईडीए वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एनईपीपी जारी किया गया है। सघों तथा सर्किलों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण आदेश संलग्न - 1 में अंकित है।

संलग्न-1 में अंकित स्पष्टीकरण आदेश के अनुपालन में कर्मचारियों को विकल्प का एक और अवसर आपशन फार्म। तथा आपशन फार्म II के द्वारा उपलब्ध किया गया है। एनईपीपी की कार्यान्वयन हेतु तुरन्त कार्यवाही की जाय।

संलग्न -1

क्र.	उठाए गए बिन्दु	स्पष्टीकरण आदेश
1.	क्या एनपीपी का विकल्प देने वाले ऐसे कर्मचारियों से जो कि ओटीबीपी/ बीसीआर/ रिस्ट्रिक्चरिंग आदि में प्रोन्नति के फलस्वरूप 1.10.2000 से 23.3.2010 तक प्राप्त वेतन एरियर की राशि की वसूली होगी। इसकी क्या पद्धति होगी?	पूर्व में प्राप्त वेतन/ वेतन एरियर का समायोजन किश्तों में होगा। इन किश्तों का निर्णय कार्पोरेट कार्यालय/ सर्किल आफिस/एसएसए द्वारा निर्धारित होगा जिससे कि 2010-11 तक वसूली हो जाय।
2.	क्या एनईपीपी का 2004 अथवा 2000 तथा 2004 के मध्य विकल्प देने पर 1.4.2008 तक प्राप्त वेतन सुरक्षित है। (अक्टूबर 2000 तथा 2004 के मध्य प्राप्त प्रमोशन को एनईपीपी के अन्तर्गत प्रथम प्रमोशन मानकर)	सुरक्षित नहीं है क्रमांक (1) पर अंकित स्पष्टीकरण आदेश लागू होगा।
3.	क्या 1.10.2000 से 22.3.2010 तक डीपीसी द्वारा प्रोन्नत कर्मचारियों की पूर्व की प्रोन्नतियों के वापस करने पर पुनः डीपीसी होगी।	प्रथम अपग्रेडेशन देने हेतु पूर्व के डीपीसी मिनट्स को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होगा तथा स्क्रीनिंग कमेटी उस पर विचार करेगी।
4.	क्या 23.3.2010 के आदेश में निहित पैरा 6.4 के अनुसार पूर्व की प्रोन्नतियों की वापसी हेतु एक पृथक विकल्प देना आवश्यक है?	हाँ, एक पृथक विकल्प देना है। प्रथम अपग्रेडेशन हेतु आपशन फार्म II संलग्न है। (आपशन फार्म अंग्रेजी में देंगे) कार्पोरेट कार्यालय के पत्र दिनांक 23.3.2010 के संलग्न आपशन फार्म को आपशन फार्म II पैरा 5.1

क्र.	उठाए गए बिन्दु	स्पष्टीकरण आदेश
		के सन्दर्भ में पढ़िए।
5.	क्या एनईपीपी के अन्तर्गत कैडर से कैडर प्रमोशन को प्रथम प्रमोशन माना जाय अथवा नवीन कैडर में चार वर्षों के पश्चात् प्रथम प्रमोशन दिया जाय।	एनईपीपी के आदेश में निहित पैरा 6.5 के अनुसार 1.10.2000 को अथवा इसके पश्चात् तथा 1.10.2004 से पूर्व एक पद से दूसरे पद में प्राप्त प्रोन्नति को प्रथम अपग्रेडेशन माना जाएगा।
6.	क्या कर्मचारी जिसे प्रमोशन वर्ष 2004 के पश्चात् मिला हो उसे एनईपीपी के अन्तर्गत प्रथम प्रमोशन समझा जाय?	पैरा 6.6 अनुसार कोई भी पद पर आधारित प्रमोशन 1.10.2004 को तथा 22.3.2010 के पूर्व को एनईपीपी के अन्तर्गत प्रथम उपग्रेडेशन माना जाए। पैरा 11 (i) के अनुसार पद पर आधारित प्रोन्नतियां उन वर्गों को जारी रहेगी जिसमें वर्तमान में है।
7.	एक कर्मचारी जिसे 1.10.2000 से 1.10.2004 के मध्य ओटीबीपी/बीसीआर की प्रोन्नति मिली है उसे एनईपीपी के अन्तर्गत द्वितीय प्रोन्नति पूर्व प्रोन्नति तिथि से 7 वर्षों के पश्चात् मिलेगा अथवा कट आफ डेट 1.10.2004 से 7 वर्षों के पश्चात् अर्थात् 2011 से मिलेगा।	पूर्व प्रोन्नति तिथि से 7 वर्षों के पश्चात् द्वितीय अपग्रेडेशन दिया जाएगा। परन्तु शर्त यह है कि उसने विकल्प दिया है। कि पैरा 6.4 के प्रावधानों के अनुसार वह प्रोन्नति एनईपीपी के अन्तर्गत प्रथम अपग्रेडेशन माना जाय।
8.	सीएसएस कैडर के कुछ ग्रुप 'डी' कर्मचारी 1.11.2004 से एलडीसी पद पर तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं। एनईपीपी के अन्तर्गत उन्हें कैसे रखा जाएगा।	1.10.2004 से पूर्व तदर्थ/आफिसिएटिंग तिथि का एनईपीपी के अन्तर्गत प्रथम अपग्रेडेशन अस्थाई रूप से समझा जाय। इसी भांति यदि तदर्थ/आफिसिएटिंग 1.10.2004 अथवा इसके पश्चात् तथा 22.3.2010 के अथवा इसके पूर्व तिथि से हो तो एनईपीपी के अन्तर्गत प्रथम अपग्रेडेशन 1.10.2004 से माना जाय। परन्तु दोनों दशाओं में यदि आफिसिएटिंग नियुक्ति समाप्त होती है तो रेजीडेन्सी समय को मूलपद का समय समझा जाएगा तथा प्रथम अपग्रेडेशन का समायोजन होगा।
9.	सीएसएस कैडर के कुछ एलडीसीज 1.1.2003 से तदर्थ रूप से यूडीसी वर्ग में कार्य कर रहे हैं। यदि वह एनईपीपी का विकल्प देने हैं तो उन्हें कैसे दिया जाएगा?	असिस्टेंट पद पर आफिसिएटिंग यूडीसीज को एनईपीपी नहीं मिलेगा क्योंकि वे 9850-14600 वेतनमान में हैं। परन्तु रिवर्सन ले लेने पर
10.	सीएसएस कैडर के कुछ यूडीसीज 1.8.2005 से असिस्टेंट पद पर 1.8.2005 से आफिसिट कर रहे हैं। एनईपीपी का विकल्प	

क्र.	उठाए गए बिन्दु	स्पष्टीकरण आदेश
	देने पर एनको अपग्रेडेशन कैसे उपलब्ध होगा।	आफिसिएटिंग समय मूलपद का मानकर एनईपीपी उन्हीं के प्रावधानों के अन्तर्गत अपग्रेडेशन मिलेगा।
11.	कुछ ग्रुप 'डी' स्टेनो तथा कुछ यूडीसी को एसीपी दिया गया है तथा उन्हें 9850-250-14600 वेतन में रख गया है। एनईपीपी की परिधि में इन्हें कैसे लाया जाएगा।?	केवल नान-इकजीक्युटिव कर्मचारी जो कि एई-1 से एई-10 वेतनमान में हैं एनईपीपी की पात्रता है।
12.	क्या एनई-11 वेतनमान के कार्यरत कर्मचारी की एनईपीपी की पात्रता है? यदि पात्र है तो 1.10.2000 के पश्चात तथा 1.10.2004 तथा अब प्राप्त प्रोन्नत की क्या तिथियां होंगी?	एनईपीपी के अन्तर्गत कर्मचारी का दूसरा अपग्रेडेशन प्रमोशन तिथि से होगा। वेतनमान से कोई सम्बंध नहीं है।
13.	एक कर्मचारी को एनई-10 वेतनमान में 1.9.2000 से प्रोन्नति दी गई तथा वेतन निर्धारण विकल्प के आधार पर इन्क्रीमेंट तिथि से किया गया। यह समझा जाता है कि प्रमोशन की दृष्टिकोण से कर्मचारी 7800/- रूपए के वेतनमान में 1.10.2000 से है। किसी तिथि से वेतन मिला है, इसका कोई सम्बंध नहीं है। स्पष्ट करें।	यह स्वयं में सपष्ट है। कठिनाई होने पर पूर्ण विवरण के साथ सेक्शन को सम्पर्क करें।
14.	एनईपीपी के 23.3.2010 के आदेश में पैरा 5.2 में लिखा है कि बीएसएनएल द्वारा दिए गए ओटीबीपी/बीसीआर/ग्रेड फोर/एसीसी इत्यादि की रियायतें समाप्त है।	कोई वसूली/ समायोजन नहीं होगा क्योंकि पद पर आधारित प्रोन्नति है तथा बिना विकल्प के इसे प्रथम प्रमोशन माना गया है।
15.	कर्मचारी पद पर आधारित प्रोन्नति 1.10.2000 को अथवा इसके पश्चात परन्तु 1.10.2004 के पूर्व होता है तो एनईपीपी के अन्तर्गत इसे प्रथम प्रमोशन माना जाता है। नवीन स्कीम के अनुसार प्रथम प्रमोशन 31.3.2008 तक नोशलन (काल्पनिक) है तो क्या कर्मचारी से 31.3.2008 तक की	

क्र.	उठाए गए बिन्दु	स्पष्टीकरण आदेश
	प्रोन्नत धनराशि की वसूली होगी?	
16.	पद पर आधारित प्रमोशन का तात्पर्य वर्टिकल प्रमोशन एक कैडर से दूसरे कैडर में परीक्षा/ऐबजार्पशन द्वारा है। स्पष्ट करें	पद पर आधारित प्रमोशन एक वर्ग से दूसरे वर्ग में वर्टिकल प्रमोशन है। यह भर्ती नियम के अनुसार होगा।
17.	क्या कर्मचारी रिस्ट्रिक्चरिंग पद्धति में सीनियर टीओए/टीएम/टीटीए के रूप से कर्मचारियों को प्रोन्नतियां को पद पर आधारित समझा जाय।	इसे पद पर आधारित प्रोन्नत समझा जाय क्योंकि पदों का सृजन होता है। इन पर एनईपीपी के पैरा 6.5 तथा 6.6 लागू होगा।
18.	पैरा II (II) में अंकित है कि दिशा निर्देशन अंकित प्रावधान के अतिरिक्त एफआर/एसआर के अन्य प्रावधान वेतन निर्धारण आदि में लागू नहीं होंगे। क्या इसमें प्रमोशन इन्क्रिमेंट की तिथि भी शामिल है।	सम्बंधित कर्मचारी को विकल्प है कि वह अपना वेतन निर्धारण प्रमोशन तिथि अथवा इन्क्रिमेंट तिथि से ले।
19.	यदि कोई कर्मचारी जिसे पद पद आधारित प्रमोशन 1.10.2004 के पश्चात् परन्तु एनईपीपी के नोटिफिकेशन के पूर्व मिला है उसकी पूर्व की प्रोन्नत आईडीए वेतनमान की पात्रता 1.10.2004 से है तथा 1.10.2004 की पश्चात् की प्रोन्नति को द्वितीय समझा जाय। तथा इसी अनुरूप तीसरा, अपग्रेडेशन 8 वर्षों के पश्चात्	एनईपीपी के पैरा 6.6 के अनुसार 1.10.2004 के पश्चात् परन्तु नोटिफिकेशन के पूर्व पद पर आधारित प्रोन्नत को प्रथम अपग्रेडेशन समझा जाएगा तथा तदनुसार पैरा 3.1 अथवा 3.2 (इ) के अनुसार बाद के अपग्रेडेशन होंगे।
20.	कार्पोरेट कार्यालय के 23.3.2010 के आदेश में पैरा 5.1 में एक माह की अवधि विकल्प हेतु निर्धारित है। कुछ सर्किल्स/एसएसए हेड्स विकल्प की तिथि 15 दिन की निर्धारित की है। क्या ऐसा हो सकता है?	पैरा 5.1 के अनुसार सर्किल/एसएसए हेड्स को विकल्प हेतु एक माह का समय देना है।
21.	यदि नान-इक्जीक्युटिव कर्मचारी को 1.10.2000 तथा 1.10.2004 के पश्चात् ग्रेड फोर प्रोन्नतियां मिली है तो एनईपीपी के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय अपग्रेडेशन क्या होगा?	बीसीआर को प्रथम अपग्रेडेशन माना जाएगा तथा ग्रेड फोर को द्वितीय

क्र.	उठाए गए बिन्दु	स्पष्टीकरण आदेश
22.	यदि कर्मचारी को बीसीआर तथा ग्रेडफोर 1 . 10.2000 तथा 23.3.2010 के मध्य मिला है तो इसका प्रथम अपग्रेडेशन क्या होगा?	
23.	सीधे भर्ती टीटीएस का दूसरा उच्च वेतनमान अपग्रेडेशन क्या होगा।	अपग्रेडेशन में सम्बन्धित कर्मचारी का दूसरा उच्च आईडीए वेतनमान होगा।
24.	क्या 30.9.2000 को टेम्पोरेरी स्टेटस मजदूर /दैनिक मजदूर जो कि 1.10.2000 अथवा इसके पश्चात् नियमित हुए हैं बीएसएनएल भर्ती अथवा बीएसएनएल में सम्मिलित कर्मचारी माना जाय।	स्पष्टीकरण बाद में जारी होंगे।
25.	क्या एनई-10 के कर्मचारियों के आई डीए के एनई-11 में अपग्रेडेशन किया जाय।	हाँ
26.	एलडीसी (टीए) से टी ओए (जी) /सीनियर टीओए (जी) में परिवर्तित कर्मचारियों का प्रथम अपग्रेडेशन क्या होगा? एनईपीपी में इनकी सेवा अर्हता तथा पद्वति क्या होगी।?	विकल्प देने पर पैरा 6.4 के अनुसार प्रथम अपग्रेडेशन एलडीसी (टीए) से टीओए (जी) होगा। बाद का अपग्रेडेशन पैरा 3.2 के अनुसार नियमित होंगे।
27.	यदि कोई कर्मचारी दो प्रमोशन, एक शार्ट फाल के अन्तर्गत तथा दूसरा नियमित ओटीबीपी/ बीसीआर स्कीम 1.10.2000 तथा नाटिफिकेशन के पूर्व पाता है तो कर्मी कौन सी प्रोन्नति को एनईपीपी के अन्तर्गत प्रथम विकल्प के रूप में ले? शार्ट फाल प्रमोशन को कैसे समझा जाएगा अर्थात् उसे प्रमोशन को वापस करना होगा अथवा नहीं?	1.10.2000 तथा 1.10.2004 के मध्य प्राप्त प्रमोशन को प्रथम अपग्रेडेशन माना जाएगा। 1.10.2000 तथा 22.3.2010 के मध्य प्रोन्नत का कैडर परिवर्तन को द्वितीय तथा तृतीय अपग्रेडेशन माना जाएगा।
28.	यदि कोई किसी कर्मचारी को इस अवधि में तीन प्रमोशन अर्थात् एक शार्ट फाल में, एक नियमित तथा दूसरा कैडर परिवर्तन टीटीए, स्टेनोग्राफर जेटीओ इत्यादि में होता है तो प्रथम अपग्रेडेशन क्या होगा? दूसरे प्रमोशन क्या होंगे?	1.10.2000 तथा 1.10.2004 के मध्य प्रमोशन को प्रथम माना जाएगा। (1.10.2004 एवं 22.3.2010) के मध्य प्रमोशन तथा कैडर परिवर्तन द्वितीय तथा तृतीय माना जाएगा।

क्र.	उठाए गए बिन्दु	स्पष्टीकरण आदेश
29.	यदि कोई कर्मचारी वेतनमान संशोधन के पश्चात ओटीबीपी/बीसीआर प्रमोशन के पश्चात रूल 8 में ट्रांसफर होता है तो उसका प्रथम अपग्रेडेशन क्या होगा तथा द्वितीय कब मिलेगा।	यह पैरा 6.4 के अनुसार नियमित होगा।
30.	एलडीसी (टीए) से टीओए (जी)/सीनियर टीओए (जी) में परिवर्तित कर्मचारियों का विकल्प अन्य सर्किल कैडर के साथ सर्किल भेजा जाएगा अथवा एसएसए में होगा।	सर्किल कैडर का सर्किल में तथा एसएसए कैडर का एसएसए में होगा।
31.	पद पर आधारित ड्रायवरों का लारी ड्राइवर में प्रमोशन सर्किल करता है। परन्तु यह एसएसए कैडर है। एनईपीपी में अपग्रेडेशन सर्किल करेगा अथवा एसएसए	सर्किल कैडर का सर्किल स्तर पर तथा एसएसए कैडर का एसएसए स्तर पर होगा।
32.	तीसरा तथा चौथा वेतन अपग्रेडेशन की अवधि निर्धारित नहीं है।	पैरा 3.1 के अनुसार तीसरा तथा चौथा प्रमोशन 8 वर्षों के पश्चात् बीएसएनएल में सम्मिलित तथा सीधे भर्ती कर्मचारियों के लिए हैं।
33.	क्या नान-इक्जीक्युटिव कर्मचारी जो कि एनई-7 में हैं उनकी अपग्रेडेशन में पात्रता (एनई-9 स्केल की है चार वर्षों के पश्चात हैं?)	नहीं। एनईपीपी के पैरा 2.3 के अनुसार दूसरे उच्च वेतनमान में होगा।
34.	मर्जर वेतनमान एनई-5 में कार्यरत नियमित मजदूरों (एनई-4 तथा एनई-5 वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार) को क्या प्रथम अपग्रेडेशन में रखी जाय?	ऐसा कोई आदेश बीएसएनएल ने जारी नहीं किया है। अपग्रेडेशन में उन्हें दूसरे उच्च वेतनमान में रखा जाएगा।
35.	क्या बीसीआर कर्मचारी जिसे एनई-10 में ग्रेड फोर पद नहीं होने के कारण अतिरिक्त इन्क्रीमेंट दिया गया था तथा वह 1.4.2004 को सेवानिवृत्त हो गया है। उसकी एनई-11 की पात्रता है। उसे एरियर मिलेगा। तथा पेंशन में संशोधन होगा।	1.4.2008 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी की एनईपीपी की पात्रता नहीं है।

क्र.	उठाए गए बिन्दु	स्पष्टीकरण
36.	क्या नियमित मजदूर तथा दूसरे ग्रुप 'डी' जिन्हें लाइनमैन के स्केल, टीएम पद नहीं होने को कारण, रूपया 4250-6650 अथवा रूपया 4550-6650 में है उन्हें दूसरे उच्च वेतनमान में किया जा सकता है। यदि नहीं तो उन्हें एनईपीपी में किस प्रकार प्रोन्नति मिलेगी।	पैरा 3.2 (ए) के अनुसार प्रथम अपग्रेडेशन चार वर्ष के उपरान्त 1.10.2000 में प्राप्त आईडीए वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्लेस किया जाएगा।
37.	ऐसा रिस्ट्रिक्चर्ड कैडर सीनियर टीओए (जी) जो कि 2009 में 16 वर्ष पूर्ण कर लिया है परन्तु डीपीसी नहीं होने के कारण अथवा प्रशासनिक कारणों के प्रोन्नत नहीं हुआ है क्या उसे विकल्प देने पर 1.10.2004 की पूर्व तिथि से नवीन स्कीम में प्रोन्नत किया जाय तथा क्या वेतनमान होगा। 7100-10,1000 अथवा 6650-9325	ऐसे कर्मचारियों के मामले उच्च वेतन में प्लेसमेंट/ प्रोन्नति निश्चित तिथि से शीघ्र किया जाय। इसके पश्चात इन कर्मचारियों के मामले स्पष्टीकरण संख्या 33 तथा एनईपीपी के पैरा 6.4 के अनुसार नियमित किए जाए।
38.	क्या सेवाकाल की गणना मे नान-क्वालीफाईंग सर्विस डाइजनान, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ईओएल को नहीं लिया जाय।	हाँ
39.	डिपुटेशन में कार्यरत कर्मचारियों का अपग्रेडेशन कौन करेगा?	यह पैरेट सर्किल करेगा तथा वहीं आदेश भी जारी करेगा।
40.	क्या बीसीआर ग्रेड IV पोस्ट बेस्ड है या नहीं	बीसीआर ग्रेड फोर प्रमोशन पद पर आधारित नहीं है।
41.	क्या बीएसएनएल में सम्मिलित कर्मचारी जिसे कि कोई भी प्रमोशन 1.10.2000 से 1.4.2008 तक नहीं है परन्तु 1.4.2008 के पश्चात् इक्जीक्युटिव पद पर प्रोन्नत हो गया उसे एनईपीपी में प्रोन्नति मिलेगा।	पैरा 3.2 (ए) के अनुसार एनईपीपी के अन्तर्गत प्रथम अपग्रेडेशन 1.10.2004 से मिलेगा।
42.	क्या एनईपीपी मोटर ड्राइवर /जुनियर एकाउन्टेन्टस तथा सीनियर एकाउन्टेन्टस पर लागू होता है।	सभी नान-इक्जीक्युटिव कर्मचारी एनई-1 से एनई-10 जो कि 1.4.2008 मे कार्यरत है उनकी एनईपीपी की पात्रता है।
43.	यदि लागू है तो क्या इन वर्गों की वर्तमान प्रमोशन पालिसी लागू है या वापस हो गया है।	43. एनईपीपी के पैराग्राफ 11 (i) के अनुसार पद पर आधारित प्रमोशन जारी रहेंगे।

क्र.	उठाए गए बिन्दु	स्पष्टीकरण
4.4.	क्या एसएसए हेड की अनुपस्थिति में डीई/एजीएम को अपग्रेडेशन की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने हेतु विचार किया जा सकता है।	हाँ। एसडीई से उच्च आफिसर चेयरमैन हो सकता है।
4.5.	टीटीएस जिनका वेतनमान 1.10.2000 से सीडीए रु. 4550-7000 से सीडीए रु. 5000-8000 हो गया है। उनका प्रथम तथा द्वितीय अपग्रेडेशन क्या होगा?	बीएसएनएल द्वारा 1.10.2000 को अथवा उसके पश्चात् तथा एनईपीपी की नोटिफिकेशन के पूर्व कोई भी अपग्रेडेशन को प्रथम माना जाएगा। अतः बीएसएनएल में सम्मिलित टीटीएस का 1.10.2000 से वेतन अपग्रेडेशन एनईपीपी में प्रथम अपग्रेडेशन माना जाएगा तथा 7 वर्षों के पश्चात् द्वितीय अपग्रेडेशन होगा। सीधे भर्ती टीटीएस का अपग्रेडेशन एनईपीपी के पैरा 3.1 के अनुसार होगा।
4.6.	यदि अधिकांश बीसीआर कर्मचारी एनईपीपी का विकल्प देते हैं तो नान-आपटीज के लिए ग्रेड फोर की गणना किया प्रकार होगी?	नान-आपटीज बीसीआर का 10 प्रतिशत ग्रेड फोर में प्रोन्नत होंगे।

बीएसएनएल बोर्ड आदि से पत्र

1.1.2006 से 20 वर्ष की सेवा के पश्चात् पूर्ण पेंशन

छठवे वेतन आयोग के फलस्वरूप संशोधित सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 का बीएसएनएल में सम्मिलित कर्मचारियों पर लागू होना

डीओटी पत्र संख्या 40-3/2008 - पेन (टी) दिनांक 16.8.2010 सभी सीजीएम/डाटसेल को

डीओटी पत्र संख्या 40-3/2008-पेन (टी) दिनांक 12.8.2009 में यह स्पष्ट किया गया था कि डीओपी पत्र संख्या 38/37/2008-पी एंड पी डब्ल्यू(ए) दिनांक 2.9.2008 के अनुसार 20 वर्ष की सेवा के उपरांत बीएसएनएल में सम्मिलित

कर्मचारियों की पूर्ण पेंशन की पात्रता है। डीओपी ने पत्र संख्या 38/37/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) दिनांक 10.12.2009 द्वारा इसे संशोधित करके अब 1.1.2006 से लागू किया है। यह आदेश बीएसएनएल में सम्मिलित कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

बीएसएनएल एमआरएस का पुनर्वालाकन बीएसएनएल पत्र संख्या बीएसएनएल/ एडमिन/ 15-10/07 दिनांक 26/27.8.2010 सभी सीजीएम आदि को

बीएसएनएल पत्र संख्या बीएसएनएल /एडमिन /15-10/07 दिनांक 16.4.2100 के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि दो बच्चों की चिकित्सा लाभ का आदेश 16 अप्रैल के पश्चात् जन्म लेने

वाले बच्चों पर लागू होगा। यदि दूसरी डिलीवरी में दो बच्चे होते हैं तो तीसरे को भी चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

1.1.2007 से वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न वेतन विसंगतियां

बीएसएनएल पत्र संख्या 7-1/2010-पीएटी (बी एस एन एल) दिनांक 31.8.2010 सभी सीजीएमएस को

वेतन निर्धारण के फलस्वरूप यदि ज्येष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ की तुलना में प्रारंभ से ही कनिष्ठ कर्मचारी की इंक्रीमेंट तिथि पूर्व से होने के कारण कम वेतन पाता है तो बीएसएनएल पत्र संख्या 1-16/2010 - पीएटी (बीएसएनएल) दिनांक 7.5.2010 के अनुसार ज्येष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ के समकक्ष किया जाय। यह निम्न शर्तों पर होगा।

i) दोनों एक वर्ग के तथा एसएसए/सर्किल का होना चाहिए।

ii) संशोधित तथा पूर्व संशोधित वेतनमान एकसमान हो तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ के पश्चात् नौकरी पर आया हो।

iii) दोनों वेतनमानों में सीनियर अधिक वेतन प्राप्त किया हो। यह इंक्रीमेंट तिथि 1.1.2007 अथवा वर्ष 2007 के मध्य हो।

iv) विसंगति 1.1.2007 से वेतन निर्धारण के फलस्वरूप हो।

v) स्टेप अप (वृद्धि) के 12 माह के पश्चात् इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यह स्टेपिंग केवल एक बार होगा।

बीएसएनएल संघों द्वारा पितरोदा कमेटी की सिफारिशों पर प्रेजेंटेशन

बीएसएनएल/16-1/एसआर/2010 दिनांक 1.9.2010 महामंत्री, एनएफटीई बीएसएनएल को

कृपया दिनांक 9.9.2010 को प्रातः 11.00 बजे वीआरएस, 30 प्रतिशत पूंजी विनिवेश, परफारमेंस तथा अनबंडलिंग पर अपने संघ का पक्ष प्रस्तुत करें।

पांचवा वेरीफिकेशन तथा कोड ऑफ डिस्स्पलिन परिवर्तन पर विचार

बीएसएनएल पत्र संख्या बीएसएनएल 5-1/ एसआर /2010 दिनांक 3.9.2010 सभी महामंत्रियों को

दिनांक 16.9.2010 को बैठक होगी जिसमें प्रत्येक संघ से केवल दो प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इस अवसर पर पांचवे वेरीफिकेशन की तिथि आदि पर भी विचार होगा।

बीएसएनएल प्रबंधन को पत्र

दिनांक 30.9.2010 को भोजनावकाश के समय प्रदर्शन

टीएफ-38/2 दिनांक 28.8.2010 जीएम (एसआर) बीएसएनएल को

लंबित समस्याओं के समाधान हेतु संघ ने 3 सितम्बर को भोजनावकाश के समय प्रदर्शन का निर्णय लिया है।

लंबित मुद्दों की सूची

- 1) 1.1.2007 से 78.2 प्रतिशत आईडीए का मरजर
- 2) 1.1.2007 अथवा इसके पश्चात् सीधे भर्ती कर्मचारियों को 30 प्रतिशत फिटमेंट का लाभ। टीडीए वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में कमी की पूर्ति हो।
- 3) जेटीओ विभागीय परीक्षा हेतु 7 वर्ष की सेवा शर्त को 5 किया जाय।

- 4) 1.1.2007 के पूर्व रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन संशोधन
- 5) सम्पन्न जेएओ पार्ट II परीक्षा में ग्रेस मार्क
- 6) सीडीआर बिलिंग की बंदी
- 7) टेलीकाम फैक्टरीज में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान
- 8) सिविल विंग मेंटीनेंस वर्गों का पुनर्गठन पूर्ण किया जाय।
- 9) सीनियर टीओए को ईडीपी वेतनमान /टीएम, ड्राइवर, केबिल स्पलाजर के वेतनमानों का संशोधन। टीटीएज की प्रोन्नति हेतु उच्च वेतनमान।
- 10) वेतन विसंगतियों का समाधान
- 11) अनुकंपा नियुक्ति का विकेंद्रीकरण तथा प्वाइंट पद्धति की समाप्ति
- 12) नान-एकजीक्युटिव को पांच प्रमोशन
- 13) प्रथम तथा द्वितीय वेतन विसंगतियों का समाधान
- 14) टीटीएज की विभागीय परीक्षा में शिक्षा योग्यता तथा सेवाकाल का संशोधन जिससे टेलीकाम मेकैनिक्स परीक्षा में शामिल हो सके।
- 16) बिना परीक्षा के सभी टीओएस का सीनियर टीओएज में अपग्रेडेशन
- 17) न्यूनतम ट्रेड यूनियन सुविधाएं
- 18) संघों के मान्यता हेतु नए नियम।

संघों के मान्यता हेतु कोड आफ डिसिपलिन में परिवर्तन

टीएफ-1/1 (सी)/पांचवां वेरीफिकेशन दिनांक 27. 8.2010 जी एम, एसआर बीएसएनएल को कृपया कार्पोरेट कार्यालय के पत्र संख्या बी

एस एन एल /5-1/एसआर/2010 दिनांक 16.8.2010 का संदर्भ लें। इस कोर्ड ऑफ डिसिपलिन से अधिकांश कर्मचारियों का निगोशिएटिंग मशीनरी में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इस नान-स्टेटूटरी पद्धति को प्रारंभ में इसलिए स्वीकार किया गया था क्योंकि उस समय बीएसएनएल का अपना कोई नियम नहीं था। संघ का प्रस्ताव विचारार्थ निम्नवत प्रस्तुत है।

- 1) लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व एक संघ से संभव नहीं है। अतः पांचवे वेरीफिकेशन के पश्चात् एक से अधिक संघों को मान्यता मिलनी चाहिए। मान्यता हेतु 15 प्रतिशत मत प्राप्त करना अनिवार्य है। संघ को यह शर्त स्वीकार है। परंतु इसे यदि शिथिल करके 5 प्रतिशत किया जाता है तो भी हम इसका विरोध नहीं करेंगे। एक संघ के मान्यता से कर्मचारियों पर अत्याचार हुआ है तथा उन्हें मान्यता प्राप्त संघ का सदस्य बनने हेतु बाध्य किया जाता है। इस प्रकार का वातावरण कंपनी के हित में नहीं है।
2. नेशनल, सर्किल तथा लोकल कौंसिलों के गठन से केवल एक संघ को लाभ मिलता है। ऐसे संघ कौंसिलों में हैं जिनकी सदस्यता एक प्रतिशत भी नहीं है। एनएफटीई ने सभी वेरीफिकेशनों में लगभग 35 प्रतिशत मत प्राप्त किये हैं। परंतु निगोशिएटिंग मशीनरी में इसका प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः वेरीफिकेशन के पश्चात् कौंसिलों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
3. यदि कोई संघ सर्किल /एसएसए स्तर पर अधिक मत प्राप्त किया है तथा ऑल इंडिया स्तर पर बहुमत नहीं है तो भी उसे सर्किल/एसएसए में

- बिना शर्त के मान्यता मिलनी चाहिए। यह बहुमत तथा प्रजातांत्रिक मत का तकाजा है। 50 प्रतिशत की शर्त समाप्त होनी चाहिए क्योंकि यह प्रजातांत्रिक निर्णय के विरुद्ध है।
4. सभी रजिस्टर्ड संघों को प्रबंधन से अनौपचारिक बैठक, नोटिस बोर्ड, रियायती किराए पर एकोमोडेशन, सर्किल तथा महामंत्री को मुफ्त लैंडलाइन तथा मोबाइल फोन, विशेष आकास्मिक अवकाश, सक्रिय पदाधिकारियों को ट्रांसफर से छूट तथा स्पोर्ट्स, वेलफेयर तथा वर्क्स कमेटी में भागीदारी की सुविधा दी जाय।
 5. चेन्नई हाईकोर्ट के निर्णय पर पालन होना चाहिए। इस निर्णय के अंतर्गत अदालत ने निगोशिऐटिंग मशीनरी में अधिकतम कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का आदेश दिया है।
 6. एमटीएनएल भी डीओटी के अधीन एक निगम है जिसमें दो संघों को मान्यता है। अतः बीएसएनएल में एक से अधिक संघ को मान्यता की व्यवस्था हो।
 7. यह प्रावधान कि "जो मान्यता प्राप्त संघ के सदस्य नहीं है वे सीधे अथवा प्रतिनिधि संघ से समस्याओं का समाधान करें" उचित नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि रजिस्टर्ड तथा गैर मान्यता प्राप्त संघ समस्याओं का समाधान नहीं करा सकते हैं। इससे गैर-मान्यता प्राप्त संघ से सदस्यों का पलायन होता है जो कि प्रतिस्पर्द्धा में बाधक है।
 8. कृपया सितम्बर के माह में संघों से बैठक करके कोड आफ डिस्सिपलिन में परिवर्तन सुनिश्चित करें।

जेटीओ वर्ग में प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा
टीएफ-14/2(बी) दिनांक 6.9.2010 जीएम

(स्थापना) बीएसएनएल का

केरल कोर्ट के आदेश के फलस्वरूप विभागीय परीक्षा स्थापित हुई है। पता चला है कि विभाग ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है जिसके कारण मामला अनिर्णित है। लगभग दस वर्षों से 35 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत कोटे की विभागीय परीक्षा नहीं हुई है।

संघ की यह भी मांग है कि सेवाकाल की शर्त 7 के स्थान पर डीओटी के समय की भांति 5 वर्ष किया जाय।

महत्वपूर्ण सूचनाएं

एनईपीपी का स्टेटस

वर्तमान गुप "सी" तथा "डी" प्रमोशन नीति अधिकारियों को नीति की भांति डीओटी से अनुमोदित नहीं है। परन्तु एनई-1 से एनई-11 वेतनमान डीओटी से अनुमोदित है।

एनईपीपी पर बीएसएनएल मुख्यालय का स्पष्टीकरण

एनईपीपी पर एनएफटीई द्वारा उठाए गए अनेक मुद्दों पर कार्पोरेट कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। फिर भी कुछ मुद्दों पर स्पष्ट निर्देश प्राप्त होना है। एनएफटीई फिर से इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगेगी। बहुत से कर्मियों को अपग्रेडेशन का लाभ इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि इनके एसीआर में 'एवरेज' की प्रविष्टि की गई है। इस क्लास से रेगुलर मजदूर तथा टेलीकाम मेकैनिक्स अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि जेटीओएज तथा एसडीईज। प्रायः प्रविष्टियां ध्यान से नहीं करते हैं।

श्री पिल्ले, निदेशक (वित्त) चयनित

श्री के सी जी के पिल्ले, पीजीएम (पीएंडएफ) निदेशक (वित्त) चयनित हुए हैं। आशा है वे अपनी कार्यकुशलता से बीएसएनएल की वर्तमान वित्तीय अव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे।

वेतनमान रुपया 9200-13200 का सृजन

डिपार्टमेंट आफ इंटरप्राइज ने एनईपीपी में वेतनमान 9200-13200 के सृजन हेतु सहमति दे दी है। परंतु यह तत्काल प्रभाव से होगा तथा इक्जीक्यूटिव वेतनमान से टकराव नहीं होना चाहिए।

वेतनमान मान्यता प्राप्त संघ की सहमति से बनेगा। वर्ष 2004 से सृजन नहीं होने के कारण ज्येष्ठ कर्मियों को हानि है।

पितरौदा कमेटी की सिफारिशों पर एनएफटीई की प्रतिक्रिया

संघ ने दिनांक 9.9.2010 को बीएसएनएल अधिकारियों की समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा तथा वीआरएस, 30 पूंजी विनिवेश, पर अपना विरोध दर्ज किया।

संघ के प्रतिनिधि मंडल में साथी चन्देश्वर सिंह, इस्लाम, राजपाल तथा कोहली सम्मिलित थे।

दो बजे जेएसी का शिष्टमंडल ने भी प्रबन्धन से मुद्दों पर चर्चा की। जेएसी अध्यक्ष (साथी चन्देश्वर सिंह) तथा इस्लाम ने संघ का प्रतिनिधित्व किया।

पेंशन संशोधन

दिनांक 7 सितम्बर को साथी इस्लाम तथा साथी चन्देश्वर सिंह ने सदस्य (सेवा) डीओटी से भेंट करके पेंशन संशोधन मुद्दे पर चर्चा की। पता चला कि

प्रस्तावित कैबिनेट नोट पर तीन मंत्रालयों, वित्त सहित, ने अपनी टिप्पणी डी ओ टी को भेज दी है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज से उत्तर की प्रतीक्षा है। इसके पश्चात मुद्दे को निर्णय हेतु कैबिनेट भेजा जाएगा।

7 सितम्बर की अभूतपूर्व हड़ताल

7 सितम्बर की हड़ताल पूंजी विनिवेश, छंटनी, वी आर एस के विरुद्ध शत-प्रतिशत सफल रही है। आशा है कि सरकार मजदूरों के प्रचुर विरोध को अनदेखा नहीं करेगी। हड़ताल को सफल बनाने के लिए हम सभी बीएसएनएल कर्मियों को शत-शत नमन करते हैं।

मान्यता नियम में संशोधन

एनएफटीई ने विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन को 31.8.2010 को सौंप दी है। संघों से चर्चा 16 सितम्बर को होगी।

इस बैठक में वेरीफिकेशन की तिथि भी निर्धारित होगी।

पूंजी विनिवेश

बीएसएनएल बोर्ड 30 प्रतिशत पूंजी विनिवेश अनुमोदित करके डीओटी को भेज दिया है। इस तथ्य को संयोजक, जेएसी, साथी नम्बूदरी, ने बैठक में दिनांक 6.9.2010 को बताया?

उस समय मुद्दे पर विरोध क्यों नहीं किया गया?

सम्मेलन

महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल सर्किलों का अधिवेशन 24 एवं 25 सितम्बर को निर्धारित है।

अभी भी कुछ सर्किलों ने सम्मेलन की घोषणा नहीं की है।

n

NOTES OF THE MONTH

BSNL HQR's clarifications on NEPP

Corporate Office has issued clarifications on many points raised by NFTE BSNL. But there are still some points which have not been spelt out. NFTE will further persue the matter. A large number of employees specially RMS and TMS may not get upgradation on account of average entries in their CRs. Normally JTOs /SDEs write CRS of such staff in a Casual way.

NEPP's Status

NEPP is not approved by the DoT like Executive Promotion Scheme. But the Scales from NE-1 to NE-11 are approved by DoT.

Creation of new scale of Pay of Rs. 9200-13200 in NEPP

The DPE has approved the creation of scale of Pay of Rs. 9200-250-13400 in Non-Executive Promotion Policy with immediate effect i.e. from the date BSNL Board approves it. But this should not be in conflict with the Executive scales of Pay. Those officials who are in NE-II (8570-12245) may get

upgradation in the new created scale.

Pension Revision

The three concerned departments including MoF have sent their comments on Cabinet Note. DPE is yet to respond. Based on these comment the DoT will prepare Cabinet Note for Govt.

Change in Recognition Rule:

The NFTE has submitted a detailed "Note" on 31-8-2010 to BSNL Headquarter for Change in Recognition Rule for maximum representation of Workers in the Negotiating Machineries at different levels.

The meeting with the management is to take place on 16th Sept., 2010.

Disinvestment

The BSNL Board has already approved 30% disinvestment proposal and sent to DoT for further action. This was disclosed by the convenor. JAC, Com. Namboodiri, in the meeting held on 6th Sept.

Why no protest at that stage?



Audience veiw at Visakhapatnam District Conference